



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3590]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 2017/पौष 8, 1939

No. 3590]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 2017/PAUSHA 8, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2017

**का.आ. 4109(अ).**—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए, प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

**और,** जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र 130.38 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और गुजरात राज्य के पंचमहल जिला के जम्बुघोदा तालुका, हलोल तालुका, घोगम्बा तालुका और छोटाउदयपुर जिला के पवीजेतपुर तालुका, बूदेली तालुका में स्थित है।

**और,** जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य को 22 मई, 1990 से प्रभावी रूप से अभयारण्य का स्थान दिया गया था। अभयारण्य का क्षेत्र लगभग आयताकार है और गुजरात राज्य में पंचमहल जिला के जम्बुघोदा और हलोल तालुकाओं और छोटाउदयपुर जिला के संखेदा तालुका में फैला हुआ है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है, कि रीछ जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य में नहीं पाया जाता था लेकिन छोटाउदयपुर के आरक्षित वन के समृद्ध और समान प्रकार के गलियारे के कारण, रीछ ने जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य में अपना स्थायी आवास बना लिया है जो जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के वन्यजीव का एक महत्वपूर्ण संवर्धन है।

**और,** जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु पेन्थेर प्रड्यूस, मेलुरुस उरसीनस, दोसेलाफुस टागोकेमेलुस, ट्रासरस क्राडिकोरनिस, हाइना हाइना, केनीस उयरेउस, मेल्लीवोरा केपेन्सीस, फेलिस चाउस, एफ रूबीगीनोसा, वीवेरीकुला इंडिका, पाराडाकुउरुस हरमाफ्रोडाइट्म, सस स्क्रोफा, परेसवायटी इंटेल्स, मेकाका मुलाट्टा, हाइस्त्रिक्स, इंडिका, लेपम निगरीकोल्लीस, फुनामबुलुस पल्मारुस, हेरपेस्टेस देवारदस, हेरपेस्टेस स्मिथि, हेरपेस्टेस जवानीकस, पेटाउरीस्टा पेटाउरीस्टा फील्लिप्पेंसिस, बेंदीकोटा इंडिका, मुस बूदुगा, टेटेरा इंडिका, वंदेलेउरीया वलेरकेअ, पटेरुफुस गीगांटेउस, रहीनीपोमा मीकर्रोफयल्लम, हीप्पोसीदेरोस फुल्लुस, रहीनोपोमा हरदवीक्की, टेफोजोउस मेलनोपोगोन, टफहोजोउस नुदीवेंटरीस, मेगदेरमा लयरा लयरा, केरीवोउला पीकटा आदि पाए जाते हैं। अभयारण्य से पक्षियों की प्रजातियां अभिलिखित की गई है फलाकरोकोरक्स करबो, फलाकरोकोरक्स फलाकरोकोरक्स नीगेर, अंहींगा रूफा, अरदेओला गरायइइ, अरदेय पुरपुरेअ, बुबुलुकुस इवीस, इगरेट्टा गुलारीस, अरदेय अल्बा, इगरेट्टा इंटरमेदीया, इंगरेट्टा गरजेट्टा, अरेदा चीनेराअ, नयकटीकोरक्स नयकटीकोराक्स, मयकटेरीया लेयकोकेफला, अनास्टोमुस ओस्कीटेंस, कीकोनिया इफिकोनीया आदि।

**और,** जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर और में मुख्य वनस्पति दील्लेनीया पेंटागयाना, अंनोना स्क्यामोसा, मीलीउसा टोमेंटोसा, करेटेइवा नुरवाला, कोचलोसपेरमुस रेलीगीओसुम, केसेरीया इल्लीपटीका, केसेरीया इल्लीपटीका, फलाकोयरटीया इंडिका, फलाकोयरटीया, मोनटाना, कायदीय केल्यचीना बोम्बक्स केइवा, फिरमीइना कोलोराटा, हेलीकटेरेस इसओरा, स्टरेकुलीय उरइंस, गरेवीय टीलीअइफोलिया, एजेल मारमेलोस, कीटरुस लीमोन, लीमोनीया असीदीस्सीमा, अइलांथुस ऐसेलस, बलानीटेस अइगयपटीअका, बोसवेल्लीया सेरटा, गरूगा पीन्नाटा, अजादीराचटा इंडिका, सोयमीदा फेबरिफुगा, केस्सीना घाउसा, जिजयफुस मयरीटीअना, जिजयफुस ओइनोपलीया, जिजयफुस क्यलोपयारा, स्चलेइचेरा ओलेओसा, बुचानानीया लांजन, लात्रेइया कोरोमांदेलीका लेन्नाया कोररोमांदेलीका, मैंगीफेरा इंडिका, स्पोंदीअस पीन्नाटा, मोरींगा, कोनेअनेंसिस, बुटेया मोनोस्पमा, दाल्बेरगिया लटीफोलिया, डी. पनीकुलाटा, डी. सीसू, डी. सायम्पथेटीका, इरयथेरीना सुबेरोसा, ओयगेइनीया ओजेनेसिस, पोंगामीया पीन्नाटा, पटेरोकरपुस मारसुपीउम आदि पाए जाते हैं।

**और,** जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य में फ्लाइंग स्वेइरल (पटेउरीसटा पटेउरीसटा फिल्लीप्पेंसिस) संकटापन्न प्रजाति है।

**और,** जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

**अतः,** अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1), तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 1.10 से 4.98 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं-** (1) जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार 1.10 किलोमीटर से 4.98 किलोमीटर तक फैला है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्र 26.976 वर्ग किलोमीटर है।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I क-ग** के रूप में संलग्न है।

(3) भू-निर्देशांकों, भूमि उपयोग पैटर्न का मानचित्र, सैटेलाइट चित्र और अवस्थान मानचित्र के साथ जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II क-ग** के रूप में संलग्न है।

(4) जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध III** की सारणी **क एवं ख** के रूप में संलग्न है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** में दी गयी है।

**2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-1.** राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य सरकार द्वारा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, के अनुरूप तैयार की जाएगी।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी विभागों के परामर्श से तैयार की जाएगी, अर्थात्:-

- i. पर्यावरण;
- ii. वन और वन्यजीव;
- iii. कृषि;
- iv. राजस्व;
- v. शहरी विकास;
- vi. पर्यटन;
- vii. ग्रामीण विकास;
- viii. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
- ix. नगरपालिका;
- x. पंचायती राज;
- xi. लोक निर्माण विभाग।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी प्रकार की अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों की बेहतरी की व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वे अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी अनुकूल बन सकें।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, की व्यवस्था की जाएगी।

(6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकारों और किस्मों, आदिवासी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों, नमभूमियों और अन्य जल निकायों की सीमा का निर्धारण किया जाएगा तथा सहायक मानचित्र भी दिया जाएगा। इस महायोजना से संबंधित सहायक मानचित्र में विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग की विशेषताओं का व्यौरा दिया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना के अंतर्गत पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन करेगी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका सुरक्षा के लिए, पारिस्थितिकी अनुकूल विकास सुनिश्चित करेगी तथा संवर्धित करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह कालिक होगी।

(9) आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा जिसमें इस अधिसूचना के उपबंधों से सम्बंधित उसके कर्तव्यों के संपादन का विवरण होगा।

(10) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कृत्यों को करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी।

**3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या वृहद आवासीय काम्पलैक्स औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

(ख) परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे कि:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख-सुविधाओं जो पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक हैं जिसमें ग्रह वास सम्मिलित है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और पैरा 4 के अधीन दिया गया है:

(ग) परंतु यह भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर की भूमि के अभिलेखों में उत्पन्न कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार शुद्धि की जाएगी और उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी।

(ड.) परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि के शुद्धिकरण में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का से परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(च) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

**(2) प्राकृतिक जल स्रोत** - सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा इस रीति से आवाह प्रबंधन योजना बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिकी पर्यटन:-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार की जायेगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का एक घटक होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, नए होटलों और रिजॉर्टों की स्थापना, पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पर्यटन महायोजना के अनुसार, पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में अनुज्ञात की जाएगी।

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार

केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों (समय-समय पर यथा-संशोधित) के अनुसार होगा।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल/रिसार्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।

(4) **प्राकृतिक विरासत** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि सभी जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें संरक्षित किया जाएगा उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण की उपयुक्त योजना बनायी जाएगी जो आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कृत्रिम क्षेत्रों, तथा ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा उन्हें आंचलिक महायोजना में शामिल किया जाएगा।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण के लिए ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियमों 2000 के अनुसार किया जाएगा। पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन बनाए गए।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।

(8) **बहिस्त्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत शामिल किए गए पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** - ठोस अपशिष्ट का निपटान निम्नानुसार किया जाएगा: -

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। गैर-जैविक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थान पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343(अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकता है।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन**: - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि. 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन:** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा-संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट:-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **वाहन-यातायात:** - वाहन-यातायात का संचलन आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार वाहनों की आवाजाही के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण:-** वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जायेगा और स्वच्छतर ईंधन जैसे सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां:** - (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी भी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुमति नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति दी जाएगी इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण:** - पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जायेगा:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों पर अत्यधिक भू-क्षरण होता है, उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

#### सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	विवरण
<b>क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप</b>		
1.	वाणिज्यिक खनन।	(क) स्थानीय निवासियों की वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं, जिनमें घर के निर्माण या मरम्मत के लिए जमीन की खुदाई और मकान बनाने एवं अन्य क्रियाकलापों के लिए देशी टाइलें या ईंटें बनाना शामिल है, को छोड़कर सभी नई और वर्तमान (लघु एवं वृहद खनिज) पत्थर खोदने एवं तोड़ने वाली ईकाइयां तत्काल प्रभाव से निषिद्ध की जाती है; (ख) खनन क्रियाकलाप, टी.एन. गोदावर्मन थिरूमलपाद बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 1995 की रिट याचिका (सी) सं 202 में दिनांक 4 अगस्त, 2006 तथा गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में वर्ष 2012 की रिट याचिका (सी) सं. 435 में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किए जाएंगे।

2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में नए उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी। जब तक कि इस प्रकार अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की अनुज्ञा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	ईट भट्टों की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
<b>ख. विनियमित क्रियाकलाप</b>		
8.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे : परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुरूप होगा।
9.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:  (ख) परंतु स्थानीय निवासियों की आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय लोगों को, पैरा 6 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी :- (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार गैर- प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों सहित, सुविधा भण्डार और ग्रह वास सहित पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाएं हैं; और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध बढ़ावा दिए गए क्रियाकलाप । (ग) परन्तु लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसे लघु उद्योगों, जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे ।

		(घ) एक किलोमीटर से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
10.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
11.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
12.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
13.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने और तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
14.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	इसकी व्यवस्था लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ की जाएगी।
15.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों, विनियमों और मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार उपशमन उपायों के साथ किया जाएगा।
16.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स आदि को उड़ाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	पर्वतीय ढलानों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
18.	रात्रि में बाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
19.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होगा।
20.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित/अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
21.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक प्रयोग एवं निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
22.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुले कुएं/ बोर कुएं आदि का निर्माण।	समुचित प्राधिकारी द्वारा विनियमित किया जाएगा तथा क्रियाकलाप की निगरानी सख्त की जाएगी।
23.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
24.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति होगी परन्तु यह विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर लागू विधियों के अधीन



		विनियमित होगा ।
27.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
28.	फार्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
<b>संबन्धित क्रियाकलाप</b>		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	अवक्रमित भूमि /वनों/ वास-स्थलों की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरूकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

**5. मानीटरी समिति-** केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए मानीटरी समिति गठित करती है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे:--

(क)	कलेक्टर, पंचमहल और छोटाउदयपुर जिला	अध्यक्ष;
(ख)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, भारत सरकार	सदस्य;
(ग)	प्रतिष्ठित संस्थान से पर्यावरण / पारिस्थितिकी / वन्यजीव का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(घ)	अभयारण्य के प्रमुख प्राधिकारी द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में और पक्षी / वन्यजीव विशेषज्ञ (पक्षीवाचर) कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य;
(ङ)	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का प्रतिनिधि, गुजरात सरकार के	सदस्य;
(च)	क्षेत्रीय अधिकारी, (जिला- पंचमहल और छोटाउदयपुर) गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(छ)	सदस्य, राज्य जैव-विविधता बोर्ड	सदस्य-सचिव।
(ज)	उप वन संरक्षक, वन्यजीव संभाग, वडोदरा	सदस्य-सचिव।

**विचारार्थ विषय:-** (1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति के पुनः गठन किए जाने तक होगा और बाद में निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित आयुक्त इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति प्रत्येक मामले में आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** में उपबंधित रूप विधान के अनुसार उस वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को उनके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हो, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे।

[फा. सं. 25/41/2017-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

**उपाबंध I क**

### पारिस्थितिकी संवेदी जोन और जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

#### अनुसूची 'क'

जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा मोतीउमरवन ग्राम की सीमा में निर्देशांक उ 22°30' 36.166", पू 73°38' 44.787" के बिंदु से आरंभ होती है। उसके बाद सीमा रेखा कलीकुयी ग्राम के उ 22° 28'42.383", पू 73°44'30.323" से मुड़कर ज़ेब (वव), नथपुरा, सरसव, जरी ग्राम की सीमा से होते हुए जाती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा भाभर, इंतवाडा, जोगपुरा (डुंगर), केवदा और बार राजस्व ग्राम की सीमा से होते हुए जाती है। जहां यह सतुन ग्राम के उत्तर-पूर्वी की ओर मुड़ती है और निर्देशांक उ 22°30'56.189", पू 73°50'48.632" के बिंदु तक जाती है। यह वसनगढ, अम्बाखुत, घाटा और कुंदाल के राजस्व ग्राम, जहां सीमा दक्षिण की ओर मुड़ती है की ओर जाकर बिंदु उ 22°28'12.567", पू 73°54' 40.334" से मिलती है। फिर सीमा दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ती है और लगभग 31.37 किलोमीटर क्षेत्र में धनपुर, रायपुर, हाथीपगला, नरवनिया आदि ग्रामों से होते हुए जाती है, इससे पहले यह दक्षिण की ओर उ 22°25'21.059" जाती है, फिर सीमा आडी तिरछी होकर मुधीयरी, नीजरन, फलिया, हीरापुर, वजपुर, उधवन ग्रामों की सीमा से होते हुए जीपीएस निर्देशांक उ 22° 19' 42.725", पू 73°44'0.519" के बिंदु से मिलती है। इसके बाद यह खोदसल और मसबर ग्राम की सीमा पर दक्षिण दिशा में जाती है; जहां से यह दुमा की ओर मुड़ती है। इसके बाद उ 22°17'8.649", पू 73° 39'38.357" पर यह उत्तर की ओर मुड़कर खुंतीया, हवेली, पदीदेम, रजपरी, गजीपुरा, जेसिंगपुरा,

कोहीवव ग्रामों की सीमा की ओर मुड़ती है। इसके बाद जीपीएस निर्देशांक उ 22° 21'35.182", पू 73° 36'13.945" बिंदु से होते हुए उ 22° 23' 53.054", पू 73° 32' 25.180". तक गरियाल ग्राम की सीमा में अंततः मुड़ने तक पश्चिमी दिशा में लगभग 35.37 किमी जाती है। इसके बाद सीमा ननीउम्रवन ग्राम तक वन्यजीव अभयारण्य की सीमा तक 18.99 किलोमीटर तक उ 22° 28' 2.891", पू 73° 35' 39.079" तक जाती है। यह पारिस्थितिकी संवेदी जोन 235.09 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के पंचमहल ओर छोट्टाउदेपुर जिला में 102 ग्राम आते हैं।

#### अनुसूची 'ख'

**उत्तर:** तालावादी, मोतीउमरवान, जब (वाव), वाव, नाथपुरा, सरसवा, जरी, कालीकुई, भाभर, इततवाद, जोगपुरा (दुंगर), केवदा, बार, सातुन, वासंगध, अमबखुंत, घाट।

**पश्चिम:** राजपरी, गाजीपुरा, जेसींगपुरा, सागवा, कोहीवाव, मोताहंदीया, नाना हंदीया, नानी रांभेत, जीवनपुर, घरियाल, सुधारा, जीमीयापुरा, दाभान, बेधीयापारा, बापोटीया, भात, शिवराजपुर, वामनकुवा, पोंदाल, नानी उमरवान।

**दक्षिण:** अमबखुंत, घाट, धानपुर, राईपुर, हथीपगला, केवदा, नरवानीया, जबवालोथी, मुथीयारी, पीपीया, मासवार दुंगर, खोदसाल, मासावार, दुमा, कोलवा दुंगर, खुंतीया, हवेली।

**पूर्व:** कुंदाल, नीजारं फलीया, हीरापुर, वाव, वाजपुर, उधवान, जोतवाद, भीलदुंगरा, सादादा, कातकुई, रानो दुंगर, रांभुं, खाखारीया ।

#### उपाबंध - I-ख

#### क. जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का विवरण

बिंदु से	बिंदु तक	विवरण
एस1	एस2	जब (वाव) ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस2	एस3	नाथपुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस3	एस4	पोयाली ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस4	एस5	जरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस5	एस6	मुदहीयारी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस6	एस7	नीजारन ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस7	एस8	दांदीयापुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस8	एस9	दांदीयापुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस9	एस10	जारवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस10	एस11	छाल्वाद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस11	एस12	छाल्वाद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस12	एस13	छाल्वाद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस13	एस14	छाल्वाद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस14	एस15	छाल्वाद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस15	एस16	वन दुंगार ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस16	एस17	नीजरं दीलगाम ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस17	एस18	नीजरं दीलगाम ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस18	एस19	नीजरं दीलगाम ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस19	एस20	वादेक ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस20	एस21	हीरापुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस21	एस22	हीरापुर, नरूउकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र

बिंदु से	बिंदु तक	विवरण
एस22	एस23	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस23	एस24	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस24	एस25	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस25	एस26	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस26	एस27	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस27	एस28	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस28	एस29	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस29	एस30	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस30	एस31	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस31	एस32	नरूकोट ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस32	एस33	नाथपुरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस33	एस34	भील दुंगरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस34	एस35	भील दुंगरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस35	एस36	धांपरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस36	एस37	धानपरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस37	एस38	सादादा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस38	एस39	कटकोटी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस39	एस40	कटकोटी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस40	एस41	कटकोटी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस41	एस42	कटकोटी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस42	एस43	खाखरीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस43	एस44	भूतीयापुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस44	एस45	रांभुं ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस45	एस46	पिपिया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस46	एस47	पिपिया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस47	एस48	पिपिया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस48	एस49	पिपिया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस49	एस50	वीसदी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस50	एस51	खोदसाल ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस51	एस52	मसाबार ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस52	एस53	दुमा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस53	एस54	लफनी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस54	एस55	लफनी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस55	एस56	देवाल फलीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस56	एस57	देवाल फलीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस57	एस58	ह्वेली ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस58	एस59	गुंदीवेरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस59	एस60	गुंदीवेरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र

बिंदु से	बिंदु तक	विवरण
एस60	एस61	जेसीनपुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस61	एस62	सागवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस62	एस63	कोहीवाव ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस63	एस64	नानी रांभेत ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस64	एस65	सुधारा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस65	एस66	सुधारा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस66	एस67	जीमीयापुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस67	एस68	भेदीयापुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस68	एस69	वेसटलेड
एस69	एस70	भेत ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस70	एस71	जबवान ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस71	एस72	सीवराजपुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस72	एस73	बामनकुंआ ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस73	एस74	काकलपुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस74	एस75	तेलवादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस75	एस76	धारीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस76	एस77	धारीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस77	एस78	वेद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस78	एस79	मोती उमरवान ग्राम का राजस्व क्षेत्र
एस79	एस1	जब (वाव)ग्राम का राजस्व क्षेत्र

## उपाबंध I- ग

## ख. जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण


बिंदु से	बिंदु तक	विवरण
ई1	ई2	अमबलीपानी छोतरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई2	ई3	छासीया (साददीया) ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई3	ई4	सागताला ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई4	ई5	धोलीसीमाल ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई5	ई6	दुंगर भीत ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई6	ई7	लुनाजा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई7	ई8	छेथापुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई8	ई9	छेथापुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई9	ई10	चाइना ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई10	ई11	घुटीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई11	ई12	घमभीरपुर और मोती बेज ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई12	ई13	भानपुरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई13	ई14	भानपुरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र

बिंदु से	बिंदु तक	विवरण
ई14	ई15	भानपुरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई15	ई16	भानपुरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई16	ई17	लीमवानी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई17	ई18	कथोला ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई18	ई19	कथोला ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई19	ई20	बमरीली ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई20	ई21	नीजारं फलीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई21	ई22	गरमुला ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई22	ई23	वादीया और वालोथी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई23	ई24	नाना कंतवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई24	ई25	कंजीपानी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई25	ई26	रामपुरा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई26	ई27	भांपुरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई27	ई28	पतीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई28	ई29	अमालपुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई29	ई30	वीसादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई30	ई31	वीसादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई31	ई32	दोरीवाव ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई32	ई33	खांदीवाव ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई33	ई34	खांदीवाव ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई34	ई35	राजखेरवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई35	ई36	राजखेरवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई36	ई37	धानाकिया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई37	ई38	सालपुर और सामधी ग्राम का राजस्व
ई38	ई39	कथ्मां ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई39	ई40	खुंतिया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई40	ई41	अछाली ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई41	ई42	भींदा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई42	ई43	छान तालावादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई43	ई44	छान तालावादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई44	ई45	छान तालावादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई45	ई46	छान तालावादी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई46	ई47	वघाबोद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई47	ई48	मोती रानभेत ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई48	ई49	भुवा दुंगरी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई49	ई50	धोलीकुइ ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई50	ई51	नाना छादवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई51	ई52	कंतेली ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई52	ई53	कंतेली ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई53	ई54	पालनपुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र


बिंदु से	बिंदु तक	विवरण
ई54	ई55	काकालपुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई55	ई56	धींकवा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई56	ई57	रींछीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई57	ई58	तदकुंदला ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई58	ई59	कलसर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई59	ई60	वेद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई60	ई61	वेद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई61	ई62	वीरापुर ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई62	ई63	जींजारी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई63	ई64	वंकोद ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई64	ई65	बकरोल ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई65	ई66	बकरोल ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई66	ई67	कदवल ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई67	ई68	नानी खांदी ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई68	ई69	पानी नो दुंगार ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई69	ई70	उधानीया ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई70	ई71	खेदा ग्राम का राजस्व क्षेत्र
ई71	ई1	समदी ग्राम का राजस्व क्षेत्र

**उपाबंध II क**

**भू-निर्देशांकों और 10 किलोमीटर परिधि में भूमि उपयोग पैटर्न के साथ जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र**




जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सैटेलाइट चित्र





## उपाबंध II-ग

## जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अवस्थिति



## उपाबंध III

सारणी क: मानचित्र में दर्शाये गये जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख स्थलों के अक्षांश- देशांतर

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	अभयारण्य के निर्देशांक
1	22° 29' 14.288" उ	73° 40' 42.443" पू	एस1
2	22° 27' 59.098" उ	73° 40' 56.443" पू	एस2
3	22° 27' 50.202" उ	73° 42' 3.734" पू	एस3
4	22° 27' 16.574" उ	73° 43' 5.759" पू	एस4
5	22° 27' 12.671" उ	73° 44' 16.475" पू	एस5
6	22° 26' 7.303" उ	73° 44' 29.770" पू	एस6
7	22° 25' 36.336" उ	73° 43' 45.474" पू	एस7
8	22° 26' 6.973" उ	73° 43' 52.387" पू	एस8
9	22° 25' 26.515" उ	73° 43' 19.483" पू	एस9

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	अभयारण्य के निर्देशांक
10	22° 25' 53.728" उ	73° 42' 49.885" पू	एस10
11	22° 26' 9.725" उ	73° 42' 17.748" पू	एस11
12	22° 26' 24.410" उ	73° 42' 0.282" पू	एस12
13	22° 26' 42.759" उ	73° 41' 33.990" पू	एस13
14	22° 26' 19.748" उ	73° 41' 39.612" पू	एस14
15	22° 25' 43.430" उ	73° 41' 51.449" पू	एस15
16	22° 25' 14.558" उ	73° 42' 11.160" पू	एस16
17	22° 24' 54.309" उ	73° 42' 9.178" पू	एस17
18	22° 25' 3.822" उ	73° 43' 7.258" पू	एस18
19	22° 24' 34.912" उ	73° 42' 51.799" पू	एस19
20	22° 24' 1.695" उ	73° 42' 20.912" पू	एस20
21	22° 23' 41.715" उ	73° 42' 36.149" पू	एस21
22	22° 23' 22.155" उ	73° 42' 14.770" पू	एस22
23	22° 23' 9.932" उ	73° 41' 25.129" पू	एस23
24	22° 23' 16.686" उ	73° 40' 40.821" पू	एस24
25	22° 23' 39.283" उ	73° 39' 31.331" पू	एस25
26	22° 24' 20.866" उ	73° 38' 23.460" पू	एस26
27	22° 24' 17.698" उ	73° 38' 17.554" पू	एस27
28	22° 24' 3.408" उ	73° 39' 6.536" पू	एस28
29	22° 23' 27.781" उ	73° 39' 40.121" पू	एस29
30	22° 23' 3.074" उ	73° 40' 40.818" पू	एस30
31	22° 22' 52.585" उ	73° 41' 29.400" पू	एस31
32	22° 22' 57.386" उ	73° 42' 15.601" पू	एस32
33	22° 22' 14.223" उ	73° 41' 43.863" पू	एस33
34	22° 22' 28.595" उ	73° 42' 39.596" पू	एस34
35	22° 22' 8.215" उ	73° 42' 15.761" पू	एस35
36	22° 22' 11.931" उ	73° 43' 12.074" पू	एस36
37	22° 21' 15.967" उ	73° 43' 1.575" पू	एस37
38	22° 21' 14.764" उ	73° 42' 15.445" पू	एस38
39	22° 20' 50.418" उ	73° 42' 2.821" पू	एस39
40	22° 20' 42.749" उ	73° 41' 23.344" पू	एस40
41	22° 20' 37.570" उ	73° 42' 15.521" पू	एस41

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	अभयारण्य के निर्देशांक
42	22° 20' 33.880" उ	73° 43' 1.483" पू	एस42
43	22° 21' 2.689" उ	73° 43' 33.579" पू	एस43
44	22° 20' 10.787" उ	73° 43' 32.502" पू	एस44
45	22° 19' 48.062" उ	73° 43' 47.034" पू	एस45
46	22° 19' 32.674" उ	73° 43' 21.832" पू	एस46
47	22° 19' 49.289" उ	73° 42' 56.304" पू	एस47
48	22° 19' 23.668" उ	73° 42' 45.373" पू	एस48
49	22° 19' 7.753" उ	73° 43' 30.755" पू	एस49
50	22° 18' 55.037" उ	73° 43' 0.971" पू	एस50
51	22° 18' 36.432" उ	73° 42' 44.827" पू	एस51
52	22° 18' 27.816" उ	73° 41' 35.506" पू	एस52
53	22° 18' 38.868" उ	73° 41' 9.431" पू	एस53
54	22° 18' 59.513" उ	73° 41' 32.821" पू	एस54
55	22° 18' 53.587" उ	73° 41' 1.561" पू	एस55
56	22° 18' 39.099" उ	73° 39' 52.290" पू	एस56
57	22° 18' 47.319" उ	73° 39' 7.188" पू	एस57
58	22° 19' 9.239" उ	73° 39' 4.622" पू	एस58
59	22° 19' 50.692" उ	73° 39' 58.120" पू	एस59
60	22° 19' 37.919" उ	73° 38' 56.054" पू	एस60
61	22° 20' 59.187" उ	73° 38' 8.911" पू	एस61
62	22° 21' 52.134" उ	73° 37' 52.812" पू	एस62
63	22° 22' 23.570" उ	73° 36' 22.493" पू	एस63
64	22° 22' 52.404" उ	73° 34' 52.768" पू	एस64
65	22° 23' 19.639" उ	73° 34' 10.468" पू	एस65
66	22° 23' 45.547" उ	73° 33' 39.947" पू	एस66
67	22° 23' 54.295" उ	73° 35' 22.082" पू	एस67
68	22° 24' 47.988" उ	73° 35' 50.429" पू	एस68
69	22° 24' 1.629" उ	73° 36' 25.397" पू	एस69
70	22° 24' 7.934" उ	73° 37' 28.800" पू	एस70
71	22° 25' 4.058" उ	73° 38' 24.294" पू	एस71
72	22° 25' 38.905" उ	73° 37' 30.525" पू	एस72
73	22° 26' 36.945" उ	73° 36' 51.321" पू	एस73

क्र.सं	अक्षांश	देशांतर	अभयारण्य के निर्देशांक
74	22° 27' 20.088" उ	73° 37' 27.756" पू	एस74
75	22° 27' 49.471" उ	73° 38' 33.310" पू	एस75
76	22° 27' 33.895" उ	73° 40' 2.963" पू	एस76
77	22° 28' 21.652" उ	73° 40' 41.200" पू	एस77
78	22° 28' 54.950" उ	73° 39' 29.085" पू	एस78
79	22° 29' 16.331" उ	73° 40' 6.442" पू	एस79

**सारणी ख:** मानचित्र में दर्शाये गये जम्बुघोदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के साथ प्रमुख-स्थलों अक्षांश- देशांतर

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक
1	22° 30' 57.335" उ	73° 50' 48.265" पू	ई1
2	22° 30' 7.886" उ	73° 52' 13.718" पू	ई2
3	22° 30' 30.606" उ	73° 53' 28.312" पू	ई3
4	22° 30' 29.905" उ	73° 54' 24.656" पू	ई4
5	22° 29' 30.452" उ	73° 54' 40.827" पू	ई5
6	22° 28' 26.382" उ	73° 54' 38.418" पू	ई6
7	22° 27' 42.460" उ	73° 53' 52.359" पू	ई7
8	22° 28' 36.228" उ	73° 52' 19.636" पू	ई8
9	22° 27' 24.868" उ	73° 51' 38.908" पू	ई9
10	22° 26' 37.105" उ	73° 51' 1.148" पू	ई10
11	22° 25' 48.337" उ	73° 50' 32.110" पू	ई11
12	22° 25' 27.417" उ	73° 49' 12.217" पू	ई12
13	22° 25' 31.507" उ	73° 48' 25.121" पू	ई13
14	22° 26' 58.165" उ	73° 48' 26.256" पू	ई14
15	22° 27' 6.183" उ	73° 47' 54.042" पू	ई15
16	22° 25' 44.538" उ	73° 47' 20.531" पू	ई16
17	22° 25' 21.059" उ	73° 46' 22.527" पू	ई17
18	22° 26' 25.964" उ	73° 45' 48.142" पू	ई18
19	22° 25' 19.747" उ	73° 45' 20.501" पू	ई19
20	22° 25' 32.043" उ	73° 44' 15.363" पू	ई20
21	22° 24' 50.670" उ	73° 43' 41.727" पू	ई21
22	22° 24' 25.963" उ	73° 43' 12.959" पू	ई22
23	22° 23' 57.515" उ	73° 45' 17.220" पू	ई23
24	22° 23' 12.899" उ	73° 45' 35.539" पू	ई24

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक
25	22° 22' 41.869" उ	73° 45' 2.123" पू	ई25
26	22° 21' 56.415" उ	73° 43' 47.985" पू	ई26
27	22° 21' 32.329" उ	73° 42' 58.790" पू	ई27
28	22° 21' 5.379" उ	73° 43' 35.539" पू	ई28
29	22° 20' 13.251" उ	73° 43' 54.245" पू	ई29
30	22° 19' 50.820" उ	73° 43' 49.440" पू	ई30
31	22° 18' 53.482" उ	73° 43' 29.042" पू	ई31
32	22° 18' 0.006" उ	73° 43' 6.616" पू	ई32
33	22° 18' 2.625" उ	73° 42' 26.611" पू	ई33
34	22° 17' 53.004" उ	73° 42' 5.834" पू	ई34
35	22° 17' 53.955" उ	73° 41' 40.209" पू	ई35
36	22° 17' 41.960" उ	73° 41' 25.796" पू	ई36
37	22° 17' 6.992" उ	73° 41' 13.563" पू	ई37
38	22° 17' 8.649" उ	73° 39' 38.357" पू	ई38
39	22° 17' 51.993" उ	73° 38' 35.554" पू	ई39
40	22° 18' 15.454" उ	73° 38' 38.550" पू	ई40
41	22° 19' 24.709" उ	73° 38' 2.199" पू	ई41
42	22° 19' 47.309" उ	73° 37' 43.125" पू	ई42
43	22° 20' 14.468" उ	73° 36' 45.531" पू	ई43
44	22° 21' 7.070" उ	73° 37' 18.449" पू	ई44
45	22° 21' 41.029" उ	73° 37' 3.555" पू	ई45
46	22° 21' 34.462" उ	73° 36' 6.061" पू	ई46
47	22° 22' 14.974" उ	73° 36' 20.971" पू	ई47
48	22° 22' 18.427" उ	73° 34' 4.980" पू	ई48
49	22° 22' 10.891" उ	73° 32' 18.658" पू	ई49
50	22° 23' 57.447" उ	73° 32' 32.148" पू	ई50
51	22° 24' 29.378" उ	73° 34' 7.291" पू	ई51
52	22° 25' 1.621" उ	73° 35' 18.304" पू	ई52
53	22° 26' 22.692" उ	73° 36' 18.165" पू	ई53
54	22° 26' 58.783" उ	73° 36' 29.659" पू	ई54
55	22° 27' 39.922" उ	73° 36' 8.132" पू	ई55
56	22° 29' 11.229" उ	73° 35' 36.221" पू	ई56
57	22° 28' 44.540" उ	73° 36' 48.319" पू	ई57
58	22° 28' 49.169" उ	73° 37' 26.252" पू	ई58
59	22° 29' 14.653" उ	73° 38' 7.555" पू	ई59
60	22° 28' 46.375" उ	73° 39' 24.248" पू	ई60
61	22° 29' 19.289" उ	73° 38' 33.476" पू	ई61

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक
62	22° 30' 18.523" उ	73° 38' 21.516" पू	ई62
63	22° 29' 53.841" उ	73° 40' 5.560" पू	ई63
64	22° 29' 47.279" उ	73° 42' 19.214" पू	ई64
65	22° 28' 50.884" उ	73° 42' 36.433" पू	ई65
66	22° 29' 8.911" उ	73° 43' 52.418" पू	ई66
67	22° 28' 38.698" उ	73° 45' 18.408" पू	ई67
68	22° 27' 54.135" उ	73° 46' 52.062" पू	ई68
69	22° 27' 38.059" उ	73° 48' 20.482" पू	ई69
70	22° 28' 41.841" उ	73° 49' 0.999" पू	ई70
71	22° 29' 37.096" उ	73° 49' 53.010" पू	ई71

## उपाबंध- IV

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की प्रमुख सीमाओं के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	ग्राम का नाम	ग्राम के प्रकार	तहसील/ तालुक	जिला	अक्षांश (उ) (डी एम एस प्रारूप)	देशांतर (पू) (डी एम एस प्रारूप)
1	नीजरान फलीआ	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 25' 17.102" उ	73° 43' 42.509" पू
2	शिवपुर	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 45.153" उ	73° 44' 16.129" पू
3	नीजरान दीलाम	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 36.090" उ	73° 43' 44.005" पू
4	दांदीयापुर पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 25' 43.760" उ	73° 43' 35.473" पू
5	वाव पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 25' 18.083" उ	73° 42' 28.916" पू
6	जारवा पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 25' 58.963" उ	73° 42' 33.579" पू
7	छाल्वाद पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 26' 11.727" उ	73° 41' 48.280" पू
8	दीपापुर	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 20.060" उ	73° 42' 48.356" पू
9	वाजपुर	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 23' 38.853" उ	73° 43' 56.946" पू
10	भीलुदुगरा पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 22' 26.883" उ	73° 42' 22.526" पू
11	धानपुरी पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 21' 59.347" उ	73° 43' 1.715" पू
12	खाखारीअ	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 21' 07.571" उ	73° 43' 56.831" पू
13	वीसादी	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 18' 51.776" उ	73° 43' 48.111" पू
14	पनीअरा पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 20' 42.399" उ	73° 42' 0.887" पू
15	ककुड पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 20' 48.281" उ	73° 43' 3.014" पू
16	पीपीअ पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 19' 40.491" उ	73° 43' 1.246" पू
17	खोदसाल	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 18' 28.959" उ	73° 43' 8.061" पू
18	मासवार पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 18' 37.073" उ	73° 42' 9.798" पू
19	लफनी पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 19' 23.617" उ	73° 40' 4.616" पू
20	दुमा	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 17' 54.470" उ	73° 40' 36.024" पू
21	गुंदीवेरी	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 19' 35.186" उ	73° 39' 26.543" पू
22	हवेली	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 18' 49.521" उ	73° 38' 54.127" पू
23	कोल्वा	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 19' 3.506" उ	73° 39' 46.151" पू
24	उचेट	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 17' 37.382" उ	73° 39' 14.031" पू
25	नधवान	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 22' 52.712" उ	73° 44' 24.385" पू

26	नरुकोटी पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 22' 54.778" उ	73° 41' 22.867" पू
27	महुदीबोर पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 23' 56.108" उ	73° 39' 8.604" पू
28	हीरापुर	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 23' 50.425" उ	73° 42' 58.124" पू
29	पोयाली पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 26' 57.889" उ	73° 43' 8.381" पू
30	गंधारा पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 26' 45.614" उ	73° 41' 41.283" पू
31	रंनजीतपुर पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 27' 25.565" उ	73° 42' 6.687" पू
32	कोहीवान पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 25' 43.531" उ	73° 40' 31.899" पू
33	मालबार पत	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 22' 49.887" उ	73° 40' 18.745" पू
34	बदेक	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 21.212" उ	73° 41' 45.596" पू
35	केवा	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 19' 42.925" उ	73° 40' 39.051" पू
36	बोकाच	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 37.457" उ	73° 40' 8.821" पू
37	जवान	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 4.677" उ	73° 39' 23.340" पू
38	भुरीकयवा	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 24' 42.206" उ	73° 40' 59.474" पू
39	जोटवाद	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 23' 4.262" उ	73° 43' 17.326" पू
40	खुंतीया	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 18' 9.705" उ	73° 38' 24.841" पू
41	नाथपरी	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 22' 53.540" उ	73° 42' 22.253" पू
42	साददा	पूर्ण ग्राम	जम्बुघोदा	पंचमहल	22° 21' 13.648" उ	73° 43' 1.753" पू
43	कोहीवाव पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 11.331" उ	73° 36' 50.124" पू
44	मोटा हंडीया	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 30.679" उ	73° 35' 56.642" पू
45	नाना हंडीया	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 34.923" उ	73° 35' 36.728" पू
46	मोती रांभेत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 15.067" उ	73° 34' 53.737" पू
47	नानी रांभेत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 32.968" उ	73° 34' 29.353" पू
48	जीवनपुरा	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 40.497" उ	73° 33' 36.406" पू
49	सुधरा पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 23' 13.558" उ	73° 34' 33.572" पू
50	घरियाल	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 23' 11.668" उ	73° 32' 47.177" पू
51	भामरीया	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 23' 59.018" उ	73° 33' 29.101" पू
52	कातेली	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 25' 19.635" उ	73° 35' 01.705" पू
53	शिवराजपुर	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 25' 20.300" उ	73° 36' 30.675" पू
54	दाभें	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 24' 51.700" उ	73° 34' 46.860" पू
55	बेदीयापुर	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 24' 35.537" उ	73° 34' 58.472" पू
56	जीमीअपुरा पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 24' 10.298" उ	73° 34' 35.605" पू
57	बामंकुवा	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 26' 38.109" उ	73° 36' 52.123" पू
58	भात पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 24' 13.755" उ	73° 37' 52.281" पू
59	पनदोल	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 27' 33.400" उ	73° 37' 2.222" पू
60	तालावादी पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 27' 13.560" उ	73° 38' 51.057" पू
61	धारीया पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 27' 12.392" उ	73° 40' 4.284" पू
62	मोती उमरवान	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 29' 31.166" उ	73° 39' 07.062" पू
63	रीझाबर पत	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 22' 58.817" उ	73° 36' 34.076" पू
64	नानी उमरवान	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 28' 22.579" उ	73° 36' 20.953" पू
65	ताद कुंदाला	पूर्ण ग्राम	हलोल	पंचमहल	22° 28' 54.254" उ	73° 36' 46.644" पू
66	जब (वाव)	पूर्ण ग्राम	घोघम्बा	पंचमहल	22° 29' 36.510" उ	73° 40' 47.858" पू
67	नाथपुर	पूर्ण ग्राम	घोघम्बा	पंचमहल	22° 28' 23.028" उ	73° 42' 9.552" पू
68	सरामवा	पूर्ण ग्राम	घोघम्बा	पंचमहल	22° 28' 25.983" उ	73° 43' 3.367" पू
69	पोयाली	पूर्ण ग्राम	घोघम्बा	पंचमहल	22° 27' 47.387" उ	73° 42' 50.079" पू
70	वाव	पूर्ण ग्राम	घोघम्बा	पंचमहल	22° 28' 57.502" उ	73° 41' 34.045" पू
71	राजपरी	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 18' 49.626" उ	73° 38' 29.454" पू
72	गजीपुरा	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 20' 17.597" उ	73° 37' 38.479" पू
73	जेसीगपुरा पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 21' 7.758" उ	73° 38' 4.814" पू

74	सागवाढ पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 21' 55.304" उ	73° 38' 21.914" पू
75	जांद पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 22' 9.361" उ	73° 39' 8.349" पू
76	लमभीया पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 22' 0.549" उ	73° 40' 21.179" पू
77	मोतारासकर पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 21' 31.349" उ	73° 40' 49.604" पू
78	बोअदाकुवा पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 21' 16.028" उ	73° 41' 55.143" पू
79	नानी रसकी पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 20' 43.123" उ	73° 40' 43.923" पू
80	कतीयारी पत	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 21' 14.669" उ	73° 39' 10.698" पू
81	तरगोल	पूर्ण ग्राम	बोदेली	छोटाउदेपुर	22° 20' 16.310" उ	73° 39' 6.249" पू
82	वजपुर	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 23' 33.724" उ	73° 44' 50.005" पू
83	मुधीयारी	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 26' 18.308" उ	73° 44' 33.400" पू
84	रानभुं	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 20' 0.008" उ	73° 44' 22.178" पू
85	जव(वालोती)	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 26' 16.469" उ	73° 46' 12.341" पू
86	नरवानीया	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 26' 31.405" उ	73° 47' 25.870" पू
87	राईपुर	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°25'54.438"उ	73°45'40.62"पू
88	कुंदाल	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°29'7.431"उ	73°53'42.673"पू
89	घाटा	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°29'23.771"उ	73°52'51.61"पू
90	अमवाकहुंत	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 29' 6.919" उ	73° 51' 43.068" पू
91	धानपुर	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°27'33.59"उ	73°50'45.428"पू
92	सतअन	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°29'35.222"उ	73°50'19.781"पू
93	वासंगेध	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°28'38.935"उ	73°50'54.057"पू
94	वार	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 27' 56.849" उ	73° 49' 27.385" पू
95	मोतीपुरा (कदवाल)	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22°28'24.97"उ	73°50'14.795"पू
96	हृथीपगाला	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 26' 18.941" उ	73° 48' 43.073" पू
97	केवदा	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 27' 22.965" उ	73° 48' 13.090" पू
98	जोगपुरा(दुंगर)	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 27' 40.095" उ	73° 47' 12.729" पू
99	भाभेर	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 27' 57.509" उ	73° 45' 29.693" पू
100	काली कुई	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 28' 35.482" उ	73° 44' 50.344" पू
101	इनतवाद	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 27' 31.003" उ	73° 45' 58.672" पू
102	जरी	पूर्ण ग्राम	पावी जेतपुर	छोटाउदेपुर	22° 28' 15.346" उ	73° 44' 13.701" पू

**उपाबंध-V****पारिस्थितिकी संवेदी जोन की निगरानी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का प्रपत्र**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें ।
7. पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।



**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th December, 2017

**S.O. 4109(E).**—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at [esz-mef@nic.in](mailto:esz-mef@nic.in).

**Draft Notification**

**WHEREAS,** The Jambughoda Wildlife Sanctuary is spread over an area of 130.38 sq km and situated in Jambughoda Taluka, Halol Taluka, Ghogamba Taluka of Panchmahal District and Pavijetpur Taluka, Bodeli Taluka of Chhotaudepur District in the state of Gujarat.

**AND WHEREAS,** The Jambughoda Wildlife Sanctuary was given a status of Sanctuary with effect from 22<sup>nd</sup> May 1990. The Sanctuary area is almost rectangular and is spread over the Jambughoda and Halol Talukas of Panchmahal district and the Sankheda taluka of Chhotaudepur district in Gujarat state. Important to note that historically, Sloth Bear was not inhabit in Jambughoda Wildlife Sanctuary but owing to rich and similar type of adjoining corridor of Reserve Forest of Chhotaudepur, Sloth Bears have made its permanent habitat in the Jambughoda Wildlife Sanctuary, which is a significant enrichment of the wildlife of Jambughoda Wildlife Sanctuary.

**AND WHEREAS,** Major fauna found in Jambughoda Wildlife Sanctuary are *Panther pardus*, *Melursus ursinus*, *Doselaphus tragocamelus*, *Tetracerus quadricornis*, *Hyaena hyaena*, *Canis aureus*, *Mellivora capensis*, *Felis chaus*, *F. rubiginosa*, *Viverricula indica*, *Paradoxurus hermaphrodites*, *Sus scrofa*, *Presbytis entellus*, *Macaca mulatta*, *Hysrix indica*, *Lepus nigricollis*, *Funambulus palmarum*, *Herpestes dewarshi*, *Herpestes smithi*, *Herpestes javanicus*, *Petaurista petaurista phillippensis*, *Bandicota indica*, *Mus booduga*, *Tetera indica*, *Vandeleuria oleracea*, *Pteropus giganteus*, *Rhinipoma microphyllum*, *Hipposideros fulvus*, *Rhinopoma hardwickii*, *Taphozous melanopogon*, *Taphozous nudiventris*, *Megaderma lyra lyra*, *Kerivoula Picta* etc. The species of bird reported from the sanctuary are *Phalacrocorax carbo*, *Phalacrocorax fuscicollis*, *Phalacrocorax niger*, *Anhinga Rufa*, *Ardeola grayii*, *Ardea purpurea*, *Bubulcus ibis*, *Egretta gularis*, *Ardea alba*, *Egretta intermedia*, *Egretta garzetta*, *Ardea cinerea*, *Nycticorax nycticorax*, *Mycteria leucocephala*, *Anastomus oscitans*, *Ciconia episopus* etc.

**AND WHEREAS,** The major flora found in and around Jambughoda Wildlife Sanctuary are *Dillenia Pentagyna*, *Annona Sqamosa*, *Miliusa tomentosa*, *Crataeva nurvala*, *Cochlospermum religiosum*, *Casearia elliptica*, *Casearia elliptic*, *Flacourtia india*, *Flacourtia*, *Montana*, *Kydia calycina*, *Bombax ceiba*, *Firmiana colorata*, *Helicteres isora*, *Streulia urens*, *Grewia tiliaefolia*, *Aegle marmelos*, *Citrus limon*, *Limonia acidissima*, *Ailanthus excels*, *Balanites aegyptiaca*, *Boswellia serrata*, *Garuga pinnata*, *Azadirachta indica*, *Soymida febrifuga*, *Cassine ghauca*, *Zizyphus mauritiana*, *Zizyphus oenoplia*, *Zizyphus xylopyra*, *Schleichera oleosa*, *Buchanania lanzan*, *Lannea coromandelica*, *Mangifera indica*, *Spondias pinnata*, *Moringa coneansensis*, *Butea monosperma*, *Dalbergia latifolia*, *D.Paniculata*, *D.Sissoo*, *D.Sympathetica*, *Erythrina suberosa*, *Ougeinia oojeinensis*, *Pongamia pinnata*, *Pterocarpus marsupium* etc.

**AND WHEREAS,** Flying squirrel (*Petaurista petaurista phillippensis*) is the endangered species of Jambughoda Wildlife Sanctuary.

**AND WHEREAS,** it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Jambughoda Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

**NOW THEREFORE,** in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 1.10 to 4.98 kilometer around the boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary in the State of Gujarat as Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

**1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.-**

- (1) The Eco-sensitive Zone shall be an extent of **1.10 kilometer to 4.98 kilometer** from the boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive zone shall be 26.976 sq. km.

- (2) The Boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure- I A-C**.
- (3) Map of Eco-sensitive zone of Jambughoda Wildlife Sanctuary along with geo-coordinates, map of land use pattern, satellite image and location maps are appended as **Annexure II A -C**.
- (4) List of geo-coordinates of the boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary is appended as Table A & B of **Annexure- III**.
- (5) The list of villages falling in proposed Eco-sensitive Zone is given in **Annexure-IV**.

## **2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.-**

- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the Competent authority of State.
- (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
- (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:
  - i. Environment,
  - ii. Forest and Wildlife,
  - iii. Agriculture,
  - iv. Revenue,
  - v. Urban Development,
  - vi. Tourism,
  - vii. Rural Development,
  - viii. Irrigation and Flood Control,
  - ix. Municipal
  - x. Panchayati Raj
  - xi. Public Works Department,
- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies and also with supporting maps. The Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive zone and adhere to prohibited, regulated activities listed in Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The said Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.
- (10) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

## **3. Measures to be taken by the State Government -** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

**(1) Land use. –**

- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive zone shall not be used or converted into areas for major commercial or major residential complex or industrial activities.
- (b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a), within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents such as:
- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
  - (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
  - (iii) Small scale industries not causing pollution;
  - (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
  - (v) Promoted activities and given under Para 4.
- (c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):
- (d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
- (e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.
- (f) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

**(2) Natural water bodies.-**

The catchment areas of all natural springs/rivers/channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

**(3) Tourism/ Eco-tourism**

- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- i. No new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 km from the boundary of the Jambughoda Wildlife Sanctuary or upto the extent of the ESZ whichever is nearer. However, beyond the distance of 1 km from the boundary of the Jambughoda Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.
  - ii. all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;
  - iii. Until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.
- (4) Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified

and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.
- (8) **Discharge of effluents.** - Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
  - (a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 and published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8<sup>th</sup> April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.
  - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.** – Bio medical waste management shall be as under:
  - (a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28<sup>th</sup> March, 2016.
  - (b) Safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-Sensitive Zone.
- (11) **Plastic Waste Management.** - The Plastic Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (12) **Construction and Demolition Waste Management.** - The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29<sup>th</sup> March, 2016, as amended from time to time.
- (13) **E-waste.** - The E-Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.
- (14) **Vehicular traffic.** – The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.
- (15) **Vehicular Pollution.** - Prevention and control of Vehicular Pollution shall be complied with in accordance with applicable laws. Efforts to be made for use of cleaner fuel for example CNG, LPG, etc.
- (16) **Industrial Units.** –
  - (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.
  - (ii) Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
- (17) **Protection of Hill Slopes.** - The protection of hill slopes shall be as under:

- (a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.
- (b) No construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

- 4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

**TABLE**

S. No.	Activity	Description
<b>A. Prohibited Activities</b>		
1.	Commercial Mining	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.)	No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. Only non-polluting industries shall be allowed within ESZ as per classification of Industries in the Guidelines issued by Central Pollution Control Board in February 2016, unless so specified in this notification. In addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Setting of new saw mills	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
<b>B. Regulated Activities</b>		
8.	Commercial establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities. Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
9.	Construction activities	a. No new commercial construction of any kind shall be permitted within one Kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. b. Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the

		<p>activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 6 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as:</p> <p>(i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;</p> <p>(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities;</p> <p>(iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016;</p> <p>(iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and</p> <p>(v) Promoted activities listed in this Notification.</p> <p>c. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>d. Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
10.	Small scale non polluting industries	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
11.	Felling of Trees	<p>a. There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.</p> <p>b. The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
12.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP)	Regulated under applicable laws.
13.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures	Regulated under applicable law. Underground cabling may be promoted.
14.	Infrastructure including civic amenities	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
15.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
16.	Under taking other activities related to tourism like over flying the ESZ area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites etc.	Regulated under applicable laws
17.	Protection of Hill Slopes and river banks	Regulated under applicable laws
18.	Movement of vehicular traffic at night	Regulated for commercial purpose under applicable laws
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Permitted under applicable laws for use of locals
20.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies. Efforts to be made for recycle and reuse of treated wastewater. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.

21.	Commercial extraction of surface and ground water	Regulated under applicable law
22.	Open Well, Bore Well etc. for agriculture or other usage	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
23.	Solid Waste Management	Regulated under applicable laws
24.	Introduction of Exotic species	Regulated under applicable laws
25.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws
26.	Use of polythene bags	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone. However, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
27.	Commercial signboards and hoardings	Regulated under applicable laws
28.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate, companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
<b>C. Promoted Activities</b>		
29.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted
30.	Organic farming	Shall be actively promoted
31.	Adoption of green technology for all activities	Shall be actively promoted
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted
33.	Use of renewable energy and fuels	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
34.	Agro-Forestry	Shall be actively promoted
35.	Plantation of Horticulture and Herbals	Shall be actively promoted
36.	Use of eco-friendly transport	Shall be actively promoted
37.	Skill Development	Shall be actively promoted
38.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat	Shall be actively promoted
39.	Environmental Awareness	Shall be actively promoted

#### 5. Monitoring Committee:—

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(a)	Collectors of Panchmahal and Chhotaudepur Districts	---Chairman
(b)	A representative of the Ministry of Environmental and Forests, Government of India	---Member
(c)	One expert in environment/ecology/wild life from a reputed Institution	---Member
(d)	Two representative of non-governmental organizations working in the field of environment and known birds/wildlife expert (birdwatcher) by the head authority of the sanctuary.	---Members
(e)	A representative of the Ministry of Environmental and Forests, Government of Gujarat.	---Member
(f)	Regional officer, (District- Panchmahal and Chhotaudepur) Gujarat State Pollution Control Board.	---Member
(g)	Member, State Biodiversity Board.	---Member
(h)	Deputy Conservator of Forests, Wildlife Division, Vadodara	---Member Secretary

**6. Terms of Reference. –**

- (1) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee would be constituted by the State Government.
  - (2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
  - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
  - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1533 (E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
  - (5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
  - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
  - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31<sup>st</sup> March of every year by the 30<sup>th</sup> June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma given in Annexure V.
  - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
8. The provisions of this notification are subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/41/2017-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

**ANNEXURE I A****BOUNDARY DESCRIPTION OF JAMBUGHODA WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE****SCHEDULE 'A'**

The boundary line of the Eco-sensitive zone of Jambughoda Wild Life Sanctuary starts from a point with coordinates N 22°30' 36.166", E 73°38' 44.787" in the border of MotiUmarvan village. Then the boundary line runs through the border of Zab (Vav), Nathpura, Sarasava, Zari village before taking a turn at N 22° 28'42.383", E 73°44'30.323" of Kalikui village. Then the border of the ESZ runs through bordering Bhabhar, Intvada, Jogpura (Dungar), Kevada and Bar revenue village where it takes a North – Eastern turn towards Satun village till the point with coordinates N 22°30'56.189", E 73°50'48.632". It runs bordering revenue villages of Vasangadh, Ambakhut, Ghata and Kundal where boundary turns towards South and joins at a point N 22°28' 12.567", E 73°54' 40.334". The boundary turns towards south-west and runs through the villages of Dhanpur, Raypur, Hathi Pagla, Narvaniya, etc. for around 31.37 km, before turning southwards at N 22°25'21.059", The boundary line passes through the border of Mudhiyari, Nizaran Faliya, Hirapur, Vajpur, Udhavanetc villages in a zig-zag manner till a point having GPS Co-ordinates of N 22° 19' 42.725", E 73°44'0.519". Then it further goes in southern direction bordering Khodsal and Masabar village where it takes a turn towards Duma. Then at N 22°17'8.649", E 73° 39'38.357" it moves towards north and then moves bordering the villages of Khuntiya, Haveli, Padidem, Rajpari, Gajipura, Jesingpura, upto Kohivav. then at a point having GPS Co-ordinates N 22° 21'35.182", E 73° 36'13.945", then it runs around 35.37 km. in a western direction ultimately moving in the border of Gariyal village till N 22° 23' 53.054", E 73° 32' 25.180". Then the boundary runs almost the bordering the Wildlife Sanctuary till N 22° 28' 2.891", E 73° 35' 39.079" covering 18.99 km till NaniUmarvan village. The Eco Sensitive Zone covers a distance of 235.09 km. The ESZ of Jambughoda WLS covers 102 villages in Panchmahal and Chhotaudepur District.



**SCHEDULE 'B'**

- North:** Talavadi, motiUmarvan, Zab (Vav), Vav, Nathpura, Sarasava, Zari, Kalikui, Bhabhar, Intwada, jogpura (Dungar), Kevada, Bar, Satun, Vasangadh, Ambakhunt, Ghata.
- West:** Rajpari, Gajipura, Jesingpura, Sagva, Kohivav, MotaHandiya, Nana Handiya, Nani Ranbhet, Jivanpur, Gariyal, Sudhara, Jimiyapura, Dabhan, Bedhiyapara, Bapotiya, Bhat, Shivrajpur, Bamankuva, Pandol, Nani Umarvan.
- South:** Ambakhunt, Ghata, Dhanpur, Raipur, Hathipagla, Kevda, Narvaniya, ZabValothi, Muthiyari, Pipiya, MasabarDungar, Khodsai, Masabar, Duma, KolvaDungar, Khuntiya, Haveli.
- East:** Kundal, NizaranFaliya, Hirapur, Vav, Vajpur, Udhavan, Jotvad, Bhildungra, Sadada, Katkui, Rano Dungar, Ranbhun, Khakhariya.

**ANNEXURE I - B****A. BOUNDARY DESCRIPTION OF JAMBUGHODA WILDLIFE SANCTUARY**

Point From To		Description
S1	S2	Revenue area of Zab (Vav) Village
S2	S3	Revenue area of Nathpura Village
S3	S4	Revenue area of Poyali Village
S4	S5	Revenue area of Zari Village
S5	S6	Revenue area of Mudhiyari Village
S6	S7	Revenue area of Nizaran Faliya Village
S7	S8	Revenue area of Dandiyapura Village
S8	S9	Revenue area of Dandiyapura Village
S9	S10	Revenue area of Zarva Village
S10	S11	Revenue area of Chalvad Village
S11	S12	Revenue area of Chalvad Village
S12	S13	Revenue area of Chalvad Village
S13	S14	Revenue area of Chalvad Village
S14	S15	Revenue area of Chalvad Village
S15	S16	Revenue area of Vav Dungar Village
S16	S17	Revenue area of Nizaran Dilgam Village
S17	S18	Revenue area of Nizaran Dilgam Village
S18	S19	Revenue area of Nizaran Dilgam Village
S19	S20	Revenue area of Vadek Village
S20	S21	Revenue area of Hirapur Village
S21	S22	Revenue area of Hirapur, Narukot Village
S22	S23	Revenue area of Narukot Village
S23	S24	Revenue area of Narukot Village
S24	S25	Revenue area of Narukot Village
S25	S26	Revenue area of Narukot Village
S26	S27	Revenue area of Narukot Village
S27	S28	Revenue area of Narukot Village
S28	S29	Revenue area of Narukot Village
S29	S30	Revenue area of Narukot Village
S30	S31	Revenue area of Narukot Village
S31	S32	Revenue area of Narukot Village
S32	S33	Revenue area of Nathpuri Village
S33	S34	Revenue area of Bhil Dungra Village

Point		Description
From	To	
S34	S35	Revenue area of Bhil Dungra Village
S35	S36	Revenue area of Dhanpari Village
S36	S37	Revenue area of Dhanpari Village
S37	S38	Revenue area of Sadada Village
S38	S39	Revenue area of Katkoi Village
S39	S40	Revenue area of Katkoi Village
S40	S41	Revenue area of Katkoi Village
S41	S42	Revenue area of Katkoi Village
S42	S43	Revenue area of Khakhariya Village
S43	S44	Revenue area of Nana Bhutiyapura Village
S44	S45	Revenue area of Ranbhun Village
S45	S46	Revenue area of Pipiya Village
S46	S47	Revenue area of Pipiya Village
S47	S48	Revenue area of Pipiya Village
S48	S49	Revenue area of Pipiya Village
S49	S50	Revenue area of Visadi Village
S50	S51	Revenue area of Khodsal Village
S51	S52	Revenue area of Masabar Village
S52	S53	Revenue area of Duma Village
S53	S54	Revenue area of Lafni Village
S54	S55	Revenue area of Lafni Village
S55	S56	Revenue area of Deval Faliya Village
S56	S57	Revenue area of Deval Faliya Village
S57	S58	Revenue area of Haveli Village
S58	S59	Revenue area of Gundiveri Village
S59	S60	Revenue area of Gundiveri Village
S60	S61	Revenue area of Jesingpura Village
S61	S62	Revenue area of Sagva Village
S62	S63	Revenue area of Kohivav Village
S63	S64	Revenue area of Nani Ranbhet Village
S64	S65	Revenue area of Sudhara Village
S65	S66	Revenue area of Sudhara Village
S66	S67	Revenue area of Jimiyapura Village
S67	S68	Revenue area of Bhediyapura Village
S68	S69	Westland
S69	S70	Revenue area of Bhat Village
S70	S71	Revenue area of Jabvan Village
S71	S72	Revenue area of Shivrajpur Village
S72	S73	Revenue area of Bamankuva Village
S73	S74	Revenue area of Kakalpur Village
S74	S75	Revenue area of Talavadi Village
S75	S76	Revenue area of Dhariya Village
S76	S77	Revenue area of Dhariya Village
S77	S78	Revenue area of Ved Village
S78	S79	Revenue area of Moti Umarvan Village
S79	S1	Revenue area of Zab (Vav) Village

## ANNEXURE I-C


**B. BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF  
JAMBUGHODA WILDLIFE SANCTUARY**

Point From To		Description
E1	E2	Revenue area of Amblipani Chhotra Village
E2	E3	Revenue area of Chhasiya (Sadadiya) Village
E3	E4	Revenue area of Sagtala Village
E4	E5	Revenue area of Dholisimal Village
E5	E6	Revenue area of Dungar Bhint Village
E6	E7	Revenue area of Lunaja Village
E7	E8	Revenue area of Chethapur Village
E8	E9	Revenue area of Chethapur Village
E9	E10	Revenue area of Chaina Village
E10	E11	Revenue area of Ghutiya Village
E11	E12	Revenue area of Ghambhirpura and Moti Bej Village
E12	E13	Revenue area of Bhanpuri Village
E13	E14	Revenue area of Bhanpur Village
E14	E15	Revenue area of Bhanpur Village
E15	E16	Revenue area of Bhanpur Village
E16	E17	Revenue area of Limbani Village
E17	E18	Revenue area of Kathola Village
E18	E19	Revenue area of Kathola Village
E19	E20	Revenue area of Bamroli Village
E20	E21	Revenue area of Nizaran Faliya Village
E21	E22	Revenue area of Garmula Village
E22	E23	Revenue area of Vadiya and Valothi Village
E23	E24	Revenue area of Nana Kantva Village
E24	E25	Revenue area of Kanjipani Village
E25	E26	Revenue area of Rampura Village
E26	E27	Revenue area of Bhanpuri Village
E27	E28	Revenue area of Patiya Village
E28	E29	Revenue area of Amalpur Village
E29	E30	Revenue area of Visadi Village
E30	E31	Revenue area of Visadi Village
E31	E32	Revenue area of Dhorivav Village
E32	E33	Revenue area of Khandivav Village
E33	E34	Revenue area of Khandivav Village
E34	E35	Revenue area of Rajkherva Village
E35	E36	Revenue area of Rajkherva Village
E36	E37	Revenue area of Dhanakiya Village
E37	E38	Revenue area of Salpura and Samdhi Village
E38	E39	Revenue area of Kathmandva Village

Point From To		Description
E39	E40	Revenue area of Khuntiya Village
E40	E41	Revenue area of Achhali Village
E41	E42	Revenue area of Bhinda Village
E42	E43	Revenue area of Chhan Talavadi Village
E43	E44	Revenue area of Chhan Talavadi Village
E44	E45	Revenue area of Chhan Talavadi Village
E45	E46	Revenue area of Chhan Talavadi Village
E46	E47	Revenue area of Vaghbod Village
E47	E48	Revenue area of Moti Ranbhet Village
E48	E49	Revenue area of Bhuva Dungri Village
E49	E50	Revenue area of Dholikui Village
E50	E51	Revenue area of Nana Chadva Village
E51	E52	Revenue area of Kanteli Village
E52	E53	Revenue area of Kanteli Village
E53	E54	Revenue area of Palanpur Village
E54	E55	Revenue area of Kakalpur Village
E55	E56	Revenue area of Dthinkva Village
E56	E57	Revenue area of Rinchhiya Village
E57	E58	Revenue area of Tadakundla Village
E58	E59	Revenue area of Kalsar Village
E59	E60	Revenue area of Ved Village
E60	E61	Revenue area of Ved Village
E61	E62	Revenue area of Virapura Village
E62	E63	Revenue area of Zinzari Village
E63	E64	Revenue area of Vankod Village
E64	E65	Revenue area of Bakrol Village
E65	E66	Revenue area of Bakrol Village
E66	E67	Revenue area of Kadval Village
E67	E68	Revenue area of Nani Khandi Village
E68	E69	Revenue area of Pani no Dungar Village
E69	E70	Revenue area of Udhaniya Village
E70	E71	Revenue area of Kheda Village
E71	E1	Revenue area of Samadi Village


**ANNEXURE II A**

**ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF JAMBUGHODA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES AND 10 KM RADIUS LAND USE PATTERN**



ANNEXURE II B


SETELLITE IMAGE OF ECO-SENSITIVE ZONE MAP OF JAMBUGHODA WILDLIFE SANCTUARY





ANNEXURE II-C

LOCATION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAMBUGHODA WILDLIFE SANCTUARY



Annexure III

TABLE A: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Jambughoda Wildlife Sanctuary shown on Map

SR.NO	LATITUDE	LONGITUDE	SANCTUARY CO-ORDIANTES
1	22° 29' 14.288" N	73° 40' 42.443" E	S1
2	22° 27' 59.098" N	73° 40' 56.443" E	S2
3	22° 27' 50.202" N	73° 42' 3.734" E	S3
4	22° 27' 16.574" N	73° 43' 5.759" E	S4
5	22° 27' 12.671" N	73° 44' 16.475" E	S5
6	22° 26' 7.303" N	73° 44' 29.770" E	S6
7	22° 25' 36.336" N	73° 43' 45.474" E	S7
8	22° 26' 6.973" N	73° 43' 52.387" E	S8
9	22° 25' 26.515" N	73° 43' 19.483" E	S9
10	22° 25' 53.728" N	73° 42' 49.885" E	S10

SR.NO	LATITUDE	LONGITUDE	SANCTUARY CO-ORDIANTES
11	22° 26' 9.725" N	73° 42' 17.748" E	S11
12	22° 26' 24.410" N	73° 42' 0.282" E	S12
13	22° 26' 42.759" N	73° 41' 33.990" E	S13
14	22° 26' 19.748" N	73° 41' 39.612" E	S14
15	22° 25' 43.430" N	73° 41' 51.449" E	S15
16	22° 25' 14.558" N	73° 42' 11.160" E	S16
17	22° 24' 54.309" N	73° 42' 9.178" E	S17
18	22° 25' 3.822" N	73° 43' 7.258" E	S18
19	22° 24' 34.912" N	73° 42' 51.799" E	S19
20	22° 24' 1.695" N	73° 42' 20.912" E	S20
21	22° 23' 41.715" N	73° 42' 36.149" E	S21
22	22° 23' 22.155" N	73° 42' 14.770" E	S22
23	22° 23' 9.932" N	73° 41' 25.129" E	S23
24	22° 23' 16.686" N	73° 40' 40.821" E	S24
25	22° 23' 39.283" N	73° 39' 31.331" E	S25
26	22° 24' 20.866" N	73° 38' 23.460" E	S26
27	22° 24' 17.698" N	73° 38' 17.554" E	S27
28	22° 24' 3.408" N	73° 39' 6.536" E	S28
29	22° 23' 27.781" N	73° 39' 40.121" E	S29
30	22° 23' 3.074" N	73° 40' 40.818" E	S30
31	22° 22' 52.585" N	73° 41' 29.400" E	S31
32	22° 22' 57.386" N	73° 42' 15.601" E	S32
33	22° 22' 14.223" N	73° 41' 43.863" E	S33
34	22° 22' 28.595" N	73° 42' 39.596" E	S34
35	22° 22' 8.215" N	73° 42' 15.761" E	S35
36	22° 22' 11.931" N	73° 43' 12.074" E	S36
37	22° 21' 15.967" N	73° 43' 1.575" E	S37
38	22° 21' 14.764" N	73° 42' 15.445" E	S38
39	22° 20' 50.418" N	73° 42' 2.821" E	S39
40	22° 20' 42.749" N	73° 41' 23.344" E	S40
41	22° 20' 37.570" N	73° 42' 15.521" E	S41
42	22° 20' 33.880" N	73° 43' 1.483" E	S42
43	22° 21' 2.689" N	73° 43' 33.579" E	S43
44	22° 20' 10.787" N	73° 43' 32.502" E	S44
45	22° 19' 48.062" N	73° 43' 47.034" E	S45
46	22° 19' 32.674" N	73° 43' 21.832" E	S46
47	22° 19' 49.289" N	73° 42' 56.304" E	S47
48	22° 19' 23.668" N	73° 42' 45.373" E	S48
49	22° 19' 7.753" N	73° 43' 30.755" E	S49
50	22° 18' 55.037" N	73° 43' 0.971" E	S50
51	22° 18' 36.432" N	73° 42' 44.827" E	S51
52	22° 18' 27.816" N	73° 41' 35.506" E	S52
53	22° 18' 38.868" N	73° 41' 9.431" E	S53
54	22° 18' 59.513" N	73° 41' 32.821" E	S54
55	22° 18' 53.587" N	73° 41' 1.561" E	S55
56	22° 18' 39.099" N	73° 39' 52.290" E	S56



SR.NO	LATITUDE	LONGITUDE	SANCTUARY CO-ORDINATES
57	22° 18' 47.319" N	73° 39' 7.188" E	S57
58	22° 19' 9.239" N	73° 39' 4.622" E	S58
59	22° 19' 50.692" N	73° 39' 58.120" E	S59
60	22° 19' 37.919" N	73° 38' 56.054" E	S60
61	22° 20' 59.187" N	73° 38' 8.911" E	S61
62	22° 21' 52.134" N	73° 37' 52.812" E	S62
63	22° 22' 23.570" N	73° 36' 22.493" E	S63
64	22° 22' 52.404" N	73° 34' 52.768" E	S64
65	22° 23' 19.639" N	73° 34' 10.468" E	S65
66	22° 23' 45.547" N	73° 33' 39.947" E	S66
67	22° 23' 54.295" N	73° 35' 22.082" E	S67
68	22° 24' 47.988" N	73° 35' 50.429" E	S68
69	22° 24' 1.629" N	73° 36' 25.397" E	S69
70	22° 24' 7.934" N	73° 37' 28.800" E	S70
71	22° 25' 4.058" N	73° 38' 24.294" E	S71
72	22° 25' 38.905" N	73° 37' 30.525" E	S72
73	22° 26' 36.945" N	73° 36' 51.321" E	S73
74	22° 27' 20.088" N	73° 37' 27.756" E	S74
75	22° 27' 49.471" N	73° 38' 33.310" E	S75
76	22° 27' 33.895" N	73° 40' 2.963" E	S76
77	22° 28' 21.652" N	73° 40' 41.200" E	S77
78	22° 28' 54.950" N	73° 39' 29.085" E	S78
79	22° 29' 16.331" N	73° 40' 6.442" E	S79

**Table B: Latitude-Longitude of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Jambughoda Wildlife Sanctuary shown on Map**

SR.NO	LATITUDE	LONGITUDE	ESZ CO-ORDINATES
1	22° 30' 57.335" N	73° 50' 48.265" E	E1
2	22° 30' 7.886" N	73° 52' 13.718" E	E2
3	22° 30' 30.606" N	73° 53' 28.312" E	E3
4	22° 30' 29.905" N	73° 54' 24.656" E	E4
5	22° 29' 30.452" N	73° 54' 40.827" E	E5
6	22° 28' 26.382" N	73° 54' 38.418" E	E6
7	22° 27' 42.460" N	73° 53' 52.359" E	E7
8	22° 28' 36.228" N	73° 52' 19.636" E	E8
9	22° 27' 24.868" N	73° 51' 38.908" E	E9
10	22° 26' 37.105" N	73° 51' 1.148" E	E10
11	22° 25' 48.337" N	73° 50' 32.110" E	E11
12	22° 25' 27.417" N	73° 49' 12.217" E	E12
13	22° 25' 31.507" N	73° 48' 25.121" E	E13
14	22° 26' 58.165" N	73° 48' 26.256" E	E14
15	22° 27' 6.183" N	73° 47' 54.042" E	E15
16	22° 25' 44.538" N	73° 47' 20.531" E	E16
17	22° 25' 21.059" N	73° 46' 22.527" E	E17

SR.NO	LATITUDE	LONGITUDE	ESZ CO-ORDINATES
18	22° 26' 25.964" N	73° 45' 48.142" E	E18
19	22° 25' 19.747" N	73° 45' 20.501" E	E19
20	22° 25' 32.043" N	73° 44' 15.363" E	E20
21	22° 24' 50.670" N	73° 43' 41.727" E	E21
22	22° 24' 25.963" N	73° 43' 12.959" E	E22
23	22° 23' 57.515" N	73° 45' 17.220" E	E23
24	22° 23' 12.899" N	73° 45' 35.539" E	E24
25	22° 22' 41.869" N	73° 45' 2.123" E	E25
26	22° 21' 56.415" N	73° 43' 47.985" E	E26
27	22° 21' 32.329" N	73° 42' 58.790" E	E27
28	22° 21' 5.379" N	73° 43' 35.539" E	E28
29	22° 20' 13.251" N	73° 43' 54.245" E	E29
30	22° 19' 50.820" N	73° 43' 49.440" E	E30
31	22° 18' 53.482" N	73° 43' 29.042" E	E31
32	22° 18' 0.006" N	73° 43' 6.616" E	E32
33	22° 18' 2.625" N	73° 42' 26.611" E	E33
34	22° 17' 53.004" N	73° 42' 5.834" E	E34
35	22° 17' 53.955" N	73° 41' 40.209" E	E35
36	22° 17' 41.960" N	73° 41' 25.796" E	E36
37	22° 17' 6.992" N	73° 41' 13.563" E	E37
38	22° 17' 8.649" N	73° 39' 38.357" E	E38
39	22° 17' 51.993" N	73° 38' 35.554" E	E39
40	22° 18' 15.454" N	73° 38' 38.550" E	E40
41	22° 19' 24.709" N	73° 38' 2.199" E	E41
42	22° 19' 47.309" N	73° 37' 43.125" E	E42
43	22° 20' 14.468" N	73° 36' 45.531" E	E43
44	22° 21' 7.070" N	73° 37' 18.449" E	E44
45	22° 21' 41.029" N	73° 37' 3.555" E	E45
46	22° 21' 34.462" N	73° 36' 6.061" E	E46
47	22° 22' 14.974" N	73° 36' 20.971" E	E47
48	22° 22' 18.427" N	73° 34' 4.980" E	E48
49	22° 22' 10.891" N	73° 32' 18.658" E	E49
50	22° 23' 57.447" N	73° 32' 32.148" E	E50
51	22° 24' 29.378" N	73° 34' 7.291" E	E51
52	22° 25' 1.621" N	73° 35' 18.304" E	E52
53	22° 26' 22.692" N	73° 36' 18.165" E	E53
54	22° 26' 58.783" N	73° 36' 29.659" E	E54
55	22° 27' 39.922" N	73° 36' 8.132" E	E55
56	22° 29' 11.229" N	73° 35' 36.221" E	E56
57	22° 28' 44.540" N	73° 36' 48.319" E	E57
58	22° 28' 49.169" N	73° 37' 26.252" E	E58
59	22° 29' 14.653" N	73° 38' 7.555" E	E59
60	22° 28' 46.375" N	73° 39' 24.248" E	E60
61	22° 29' 19.289" N	73° 38' 33.476" E	E61

SR.NO	LATITUDE	LONGITUDE	ESZ CO-ORDINATES
62	22° 30' 18.523" N	73° 38' 21.516" E	E62
63	22° 29' 53.841" N	73° 40' 5.560" E	E63
64	22° 29' 47.279" N	73° 42' 19.214" E	E64
65	22° 28' 50.884" N	73° 42' 36.433" E	E65
66	22° 29' 8.911" N	73° 43' 52.418" E	E66
67	22° 28' 38.698" N	73° 45' 18.408" E	E67
68	22° 27' 54.135" N	73° 46' 52.062" E	E68
69	22° 27' 38.059" N	73° 48' 20.482" E	E69
70	22° 28' 41.841" N	73° 49' 0.999" E	E70
71	22° 29' 37.096" N	73° 49' 53.010" E	E71

## ANNEXURE- IV

**GEO CORDINATES OF PROMINENT BOUNDARIES OF THE VILLAGES FALLING IN THE ECO-SENSITIVE ZONE**

S No	Village Name	Type of Village*	Tehsil/ Taluka	District	Latitude (N) (DMS Format)	Longitude (E) (DMS Format)
1	Nizran falia	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 25' 17.102" N	73° 43' 42.509" E
2	Shivajipura	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 45.153" N	73° 44' 16.129" E
3	Nijaran Dilgam	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 36.090" N	73° 43' 44.005" E
4	Dandiyapura Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 25' 43.760" N	73° 43' 35.473" E
5	Vav Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 25' 18.083" N	73° 42' 28.916" E
6	Zarva Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 25' 58.963" N	73° 42' 33.579" E
7	Chalvad Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 26' 11.727" N	73° 41' 48.280" E
8	Dipapura	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 20.060" N	73° 42' 48.356" E
9	Vajpur	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 23' 38.853" N	73° 43' 56.946" E
10	Bhildungra Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 22' 26.883" N	73° 42' 22.526" E
11	Dhanpuri Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 21' 59.347" N	73° 43' 1.715" E
12	Khakharia	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 21' 07.571" N	73° 43' 56.831" E
13	Visadi	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 18' 51.776" N	73° 43' 48.111" E
14	Paniara Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 20' 42.399" N	73° 42' 0.887" E
15	Katkui PT	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 20' 48.281" N	73° 43' 3.014" E
16	Pipia Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 19' 40.491" N	73° 43' 1.246" E
17	Khodsai	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 18' 28.959" N	73° 43' 8.061" E
18	Masabar Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 18' 37.073" N	73° 42' 9.798" E
19	Lafni Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 19' 23.617" N	73° 40' 4.616" E
20	Duma	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 17' 54.470" N	73° 40' 36.024" E
21	Gundiveri	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 19' 35.186" N	73° 39' 26.543" E
22	Haveli	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 18' 49.521" N	73° 38' 54.127" E
23	Kolva	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 19' 3.506" N	73° 39' 46.151" E
24	Uchet	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 17' 37.382" N	73° 39' 14.031" E

25	Udhvan	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 22' 52.712" N	73° 44' 24.385" E
26	Narukot Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 22' 54.778" N	73° 41' 22.867" E
27	Mahudibor Pt	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 23' 56.108" N	73° 39' 8.604" E
28	Hirapur	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 23' 50.425" N	73° 42' 58.124" E
29	Poyali Pt.	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 26' 57.889" N	73° 43' 8.381" E
30	Gandhra Pt.	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 26' 45.614" N	73° 41' 41.283" E
31	Ranjitpura Pt.	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 27' 25.565" N	73° 42' 6.687" E
32	Kohivav Pt.	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 25' 43.531" N	73° 40' 31.899" E
33	Malbar Pt.	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 22' 49.887" N	73° 40' 18.745" E
34	Vadek	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 21.212" N	73° 41' 45.596" E
35	Keva	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 19' 42.925" N	73° 40' 39.051" E
36	Borkach	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 37.457" N	73° 40' 8.821" E
37	Jaban	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 4.677" N	73° 39' 23.340" E
38	Bhuriakuva	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 24' 42.206" N	73° 40' 59.474" E
39	Jotvad	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 23' 4.262" N	73° 43' 17.326" E
40	Khuntiya	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 18' 9.705" N	73° 38' 24.841" E
41	Nathpari	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 22' 53.540" N	73° 42' 22.253" E
42	Sadada	Whole Village	Jambughoda	Panchmahal	22° 21' 13.648" N	73° 43' 1.753" E
43	Kohivav Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 11.331" N	73° 36' 50.124" E
44	Mota handiya	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 30.679" N	73° 35' 56.642" E
45	Nana handiya	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 34.923" N	73° 35' 36.728" E
46	Moti Ranbhet	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 15.067" N	73° 34' 53.737" E
47	Nani ranbhet	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 32.968" N	73° 34' 29.353" E
48	Jivanpura	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 40.497" N	73° 33' 36.406" E
49	Sudhra Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 23' 13.558" N	73° 34' 33.572" E
50	Gariyal	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 23' 11.668" N	73° 32' 47.177" E
51	Bhamariya	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 23' 59.018" N	73° 33' 29.101" E
52	Kanteli	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 25' 19.635" N	73° 35' 01.705" E
53	Shivrajpur	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 25' 20.300" N	73° 36' 30.675" E
54	Dabhan	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 24' 51.700" N	73° 34' 46.860" E
55	Bediyapura	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 24' 35.537" N	73° 34' 58.472" E
56	Jimiapura Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 24' 10.298" N	73° 34' 35.605" E
57	Bamankuva	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 26' 38.109" N	73° 36' 52.123" E
58	Bhat Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 24' 13.755" N	73° 37' 52.281" E
59	Pandol	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 27' 33.400" N	73° 37' 2.222" E
60	Talavadi Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 27' 13.560" N	73° 38' 51.057" E
61	Dharia Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 27' 12.392" N	73° 40' 4.284" E
62	Moti umarvan	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 29' 31.166" N	73° 39' 07.062" E
63	Richhbar Pt.	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 22' 58.817" N	73° 36' 34.076" E
64	Nani Umarvan	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 28' 22.579" N	73° 36' 20.953" E
65	Tad Kundala	Whole Village	Halol	Panchmahal	22° 28' 54.254" N	73° 36' 46.644" E
66	Zab (vav)	Whole Village	Ghoghamba	Panchmahal	22° 29' 36.510" N	73° 40' 47.858" E
67	Nathpura	Whole Village	Ghoghamba	Panchmahal	22° 28' 23.028" N	73° 42' 9.552" E

68	Srasva	Whole Village	Ghoghamba	Panchmahal	22° 28' 25.983" N	73° 43' 3.367" E
69	Poyali	Whole Village	Ghoghamba	Panchmahal	22° 27' 47.387" N	73° 42' 50.079" E
70	Vav	Whole Village	Ghoghamba	Panchmahal	22° 28' 57.502" N	73° 41' 34.045" E
71	Rajpari	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 18' 49.626" N	73° 38' 29.454" E
72	Gajipura	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 20' 17.597" N	73° 37' 38.479" E
73	Jesingpura Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 21' 7.758" N	73° 38' 4.814" E
74	Sagva Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 21' 55.304" N	73° 38' 21.914" E
75	Zand Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 22' 9.361" N	73° 39' 8.349" E
76	Lambhia Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 22' 0.549" N	73° 40' 21.179" E
77	Motaraska Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 21' 31.349" N	73° 40' 49.604" E
78	Bobdakuva Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 21' 16.028" N	73° 41' 55.143" E
79	Nani raski Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 20' 43.123" N	73° 40' 43.923" E
80	Kathiyari Pt.	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 21' 14.669" N	73° 39' 10.698" E
81	Targol	Whole Village	Bodeli	Chhotaudepur	22° 20' 16.310" N	73° 39' 6.249" E
82	Vajpur	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 23' 33.724" N	73° 44' 50.005" E
83	Mudhiyari	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 26' 18.308" N	73° 44' 33.400" E
84	Ranbhun	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 20' 0.008" N	73° 44' 22.178" E
85	Zab (Valothi)	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 26' 16.469" N	73° 46' 12.341" E
86	Narvaniya	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 26' 31.405" N	73° 47' 25.870" E
87	Raipur	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°25'54.438"N	73°45'40.62"E
88	Kundal	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°29'7.431"N	73°53'42.673"E
89	Ghata	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°29'23.771"N	73°52'51.61"E
90	Ambakhunt	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 29' 6.919" N	73° 51' 43.068" E
91	Dhanpur	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°27'33.59"N	73°50'45.428"E
92	Satun	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°29'35.222"N	73°50'19.781"E
93	Vasangedh	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°28'38.935"N	73°50'54.057"E
94	Bar	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 27' 56.849" N	73° 49' 27.385" E
95	Motipura (Kadval)	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22°28'24.97"N	73°50'14.795"E
96	Hathipagala	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 26' 18.941" N	73° 48' 43.073" E
97	Kevda	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 27' 22.965" N	73° 48' 13.090" E
98	Jogpura (dungar)	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 27' 40.095" N	73° 47' 12.729" E
99	Bhabhar	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 27' 57.509" N	73° 45' 29.693" E
100	Kali Kui	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 28' 35.482" N	73° 44' 50.344" E
101	Intwad	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 27' 31.003" N	73° 45' 58.672" E
102	Zari	Whole Village	Pavi Jetpur	Chhotaudepur	22° 28' 15.346" N	73° 44' 13.701" E

**ANNEXURE-V****Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as annexure.
5. Summary of cases scrutinized for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
6. Summary of cases scrutinized for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006. Details may be attached as separate annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance: